**<u>न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, बामनवास, जिला सवाई माधोपुर (राज0)</u>**

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | : | सुरेश कुमार सेन, आर0जे0एस0 |
| नम्बरी फौजदारी संख्या | : | 92/2020 |
| सी.आई.एस. नंबर | : | 92/2020 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या | : | 65/2020 |
| सीएनआर नंबर | : | RJSM0D0002802020 |
| पुलिस थाना | : | बामनवास |

राजस्थान राज्य **--अभियोजन**

**बनाम**

1. रमेश पुत्र गौरीलाल
2. गिर्राज पुत्र रामकिशोर
   निवासीयान भोलूका पुरा बामनवास पट्टीकला थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर

**--अभियुक्तगण**

**<u>अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता</u>**

**उपस्थितः-**

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री रामकिशोर त्रिवेदी, अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

**निर्णय** **दिनांकः25-06-2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी रामखिलाडी द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 दिनांक 14.04.2020 को इस प्रकार से पेश की कि दिनांक 14.04.2020 को उसका भाई छुट्टन तालाब में कुंए पर नहाने गया था। समय करीब 05.30 मिनट की बात है। उसे कुंए पर घेरकर रमेश, गिर्राज, राजकुमार, मुकेश, रवि, रामसिंह, अखलेश, रामसिंह, राधेश्याम ने रास्ते में रोकर कुल्हाडी, डंडों, सरियों से मारपीट की जिससे उसके भाई के शरीर मुंह, हाथ-पैरों में चोटें आई है। उसके भाई ने उसके बेटे बबलू के फोन पर फोन कर बताया कि उसके साथ मारपीट कि तुम आ जाओ। वह, अजय, घनश्याम, कमलेश उसे वहां से उठाकर लाये और अस्पताल में भर्ती कराया...... इत्यादि।

2. परिवादी की उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बामनवास में प्रकरण संख्या 65/2020 अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 143 भारतीय दण्ड संहिता पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियोग पत्र अभियुक्तगण रमेश व गिर्राज के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय पेश किया गया। जिस पर विचार के उपरांत दिनांक 03.09.2020 को अभियुक्तगण रमेश व गिर्राज के विरूद्ध धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

3. दिनांक 22.02.2021 को अभियुक्तगण रमेश व गिर्राज को धारा 323, 341, 325, सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण रमेश व गिर्राज द्वारा आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

**4. अभियोजन की ओर से परीक्षित मौखिक साक्षी:-**

| **क्र.सं.** | **गवाह संख्या** | **गवाह का नाम** | **परीक्षण दिनांक** | **प्रकृति** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पी.डब्ल्यू-1 | छुट्टनलाल | 19.07.2023 | परिवादी |
| 2 | पी.डब्ल्यू-2 | घनश्याम | 02.03.2025 | नक्शा मौका |
| 3 | पी.डब्ल्यू-3 | कमलेश | 01.07.2025 | |
| 4 | पी.डब्ल्यू-4 | मेघराज | 10.09.2025 | पक्षद्रोही |
| 5 | पी.डब्ल्यू-5 | डॉ. अरविन्द कुमार | 25.02.2026 | चिकित्सक |
| 6 | पी.डब्ल्यू-6 | डॉ. रमेशचंद | 25.02.2026 | चिकित्सक |
| 7 | पी.डब्ल्यू-7 | साहब सिंह | 17.03.2026 | अनुसंधानाधिकारी |
| 8 | पी.डब्ल्यू-8 | रामखिलाडी | 17.03.2026 | परिवादी |
| 9 | पी.डब्ल्यू-9 | अजय | 17.03.2026 | |
| 10 | पी.डब्ल्यू-10 | घनश्याम | 24.04.2026 | पक्षद्रोही |

**अभियोजन की ओर से परीक्षित दस्तावेजी साक्ष्य –**

| **क्र.सं.** | **प्रदर्श** | **दस्तावेज** | **दिनांकित** |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी-1 | नक्शा मौका | 17.04.2020 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | प्रदर्श पी-2 | चोट प्रतिवेदन छुट्टनलाल | 14.04.2020 |
| 3 | प्रदर्श पी-3 | नक्शा मौका | |
| 4 | प्रदर्श पी-4 | बयान अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता मेघराज | 25.04.2020 |
| 5 | प्रदर्श पी-5 | एक्सरे रिपोर्ट छुट्टनलाल | 14.04.2020 |
| 6 | प्रदर्श पी-6 | एक्सरे प्लेट छुट्टनलाल | 14.04.2020 |
| 7 | प्रदर्श पी-7 | तहरीरी रिपोर्ट | 14.04.2020 |
| 8 | प्रदर्श पी-8 | चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट | 14.04.2020 |
| 9 | प्रदर्श पी-9 | बयान अंतर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता घनश्याम | 25.04.2020 |

5. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर दिनांक 28.04.2026 को अभियुक्तगण गिर्राज, रमेश का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किया गया। अभियुक्तगण ने गवाह के कथनों को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर दिनांक 01.05.2026 को साक्ष्य प्रतिरक्षा का अवसर समाप्त किया गया।

बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान **सहायक अभियोजन अधिकारी** का निवेदन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है, अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

इसके विपरीत **विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क** रहा है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियुक्तगण को रंजिशवश प्रकरण में झूंठा फंसाया गया है। स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही घोषित किये गये हैं। यहां तक की विशेषज्ञ द्वारा इस संभावना को स्वीकार किया गया है कि गिरने पडने के कारण आ सकती है। ऐसे में घटना की ताईद नहीं हुई है। अभियोजन द्वारा प्रकरण को संदेह से परे साबित नहीं किया गया है। अंत में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

**6. बहस उभय पक्ष सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न है कि-**

1- क्या अभियुक्तगण द्वारा मिलकर दिनांक 14.04.2020 को समय शाम करीब 05.30 बजे वाके ग्राम टोडाला की ढाणी, बामनवास पट्टीकला में परिवादी मजरूबान के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में गाली-गलौंच करते हुए कुल्हाडी, लाठी, डंडो, सरियों व कुंद हथियार से मारपीट कर उनके स्वेच्छयाल साधारण एवं घोर उपहतियां कारित की। जिससे अभियुक्तगण का उक्त कृत्य धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है?

2- यदि हां तो इसके लिये अभियुक्तगण को किस प्रकार के दण्ड से दंडित किया जाये?

7. उभयपक्षकारान को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहरीरी रिपोर्ट **प्रदर्श पी 7 रामखिलाडी** द्वारा पेश की गयी है जो न्यायालय में पी.ड. 8 के रूप में परीक्षित हुआ है जो करीब 6 साल पहले की शाम 5 बजे की बात होना बताता है। छुट्टनलाल का कुंए पर नहाने जाते समय गिर्राज, रमेश, रामसिंह, मुकेश, अखिलेश, रवि द्वारा छुट्टनलाल को घेरकर उसके साथ मारपीट करना कहता है। मारपीट से उसके दोनों हाथ टूट जाना, शरीर पर चोटें आना व दांत टूट जाना कहता है। उसे फोन पर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती करवाना कहता है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 अपने सामने बनाना कहता है। रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 व चाक एफआईआर प्रदर्श पी 8 पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकारता है। प्रतिपरीक्षण में यह गवाह रिपोर्ट किसके द्वारा लिखवाई हो तो याद नहीं होना कहता है। किसने किसके कहां चोट मारी हो तो पता नहीं होना कहता है। वक्त घटना घटनास्थल पर मौजूद नहीं होना स्वीकारता है। फोन पर सूचना मिलने पर मौके पर जाना कहता है। वह इस सुझाव को नकारता है कि छुट्टन उसका भाई होने के कारण झूंठे बयान दे रहा है।

8. गवाह पी.ड. 2 घनश्याम नक्शा मौका का गवाह है जो रमेश व गिर्राज द्वारा छुट्टन की मारपीट करने से शरीर में कई जगह चोटें आना कहता है। उसे घटना की जानकारी फोन पर छुट्टन द्वारा देना कहता है। घटना खेतों में पानी की निकासी को लेकर होना कहता है। प्रतिपरीक्षण में यह गवाह वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं होना स्वीकारता है। नक्शा मौका उसके, राजू व छुट्टन के सामने बनाना कहता है। नक्शा मौका पर किसके हस्ताक्षर हो तो पता नहीं होना कहता है। फिसलकर गिरने से चोटें आना के सुझाव को नकारता है। भाई होने के कारण झूंठे बयान देने के सुझावों को

नकारता है।

9. गवाह पी.ड. 3 कमलेश है जो समान तथ्यों को दोहराते हुए छुट्टन की मारपीट रमेश व गिर्राज द्वारा करना कहता है। उसे सूचना फोन पर मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचने पर छुट्टन का घायल अवस्था में मिलना फिर उसे बामनवास अस्पताल में भर्ती कराना कहता है। कुछ दिन पहले खेत से पानी की निकासी की बात को लेकर झगडा होना स्वीकारता है। तथा प्रतिपरीक्षण में यह गवाह वक्त घटना घटनास्थल पर मौजूद नहीं होना तथा पहुंचने पर घटनास्थल पर किसी का मौजूद नहीं होना कहता है।

गवाह पी.ड. 4 मेघराज है जो वक्त घटना घटनास्थल पर मौजूद नहीं होना ना ही घटना की कोई जानकारी नहीं होना कहता है। जिसे अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण में यह गवाह छुट्टन के रमेश व गिर्राज द्वारा डंडो से मारपीट करना स्वीकारता है। अपने पुलिस बयान नहीं होना स्वीकारता है। मुल्जिमानों को बचाने के लिए झूंठे बयान देने के सुझावों को नकारता है।

10. गवाह पी.ड. 5 डॉ. अरविन्द कुमार चिकित्साधिकारी है जो दिनांक 14.04.2020 डॉ. रमेश द्वारा चोट संख्या 9 के लिए दंत विशेषज्ञ बाद राय एक दांत उपर का सेन्ट्रल इन्साईजर गायब होना तथा शॉकेट पूरा तरह भरा होना कहता है। चोट का पुराना होना कहता है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2 पर अपने हस्ताक्षर व राय होना कहता है।

11. गवाह पी.ड. 6 डॉ. रमेशचन्द चिकित्साधिकारी **विशेषज्ञ** है जो दिनांक 14.04.2020 को छुट्टनलाल की चोटों का मुआयना कर उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2, प्रदर्श पी 5 एक्सरे रिपोर्ट व प्रदर्श पी 6 एक्सरे प्लेट बताता है। चोटें 4 घंटे की समयावधि की, कुंद हथियार से कारित बताता है। उसकी 12 चोटें जिनमें से चोट संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12 के लिए एक्सरे की सलाह देना कहता है व चोट संख्या 9 के लिए दंत विशेषज्ञ की सलाह व अन्य सभी चोटें सामान्य प्रकृति की होना कहता है। बाद एक्सरे चोट संख्या 5 व 6 गंभीर प्रकृति की दोनों हाथों में रेडियस अस्थि का भंग होना पाया गया। चोट संख्या 9 बाद दंत विशेषज्ञ की राय सामान्य प्रकृति की होना पाया गया। प्रदर्श पी 5 व 6 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है। प्रतिपरीक्षण में प्रदर्श पी 2 की सभी चोटें उंचाई से ठोस धरातल पर लुढककर गिरने से या चलते हुए साधर से रोड पर गिरने से आने की संभावना स्वीकार करता है।

12. गवाह पी.ड. 10 घनश्याम है जो चक्षुसाक्षी नहीं होने से अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण में यह गवाह छुट्टन के साथ रमेश व गिर्राज द्वारा मारपीट करना कहता है। अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 9 पुलिस को नहीं देना कहता है। झूंठे बयान देने के सुझावों को नकारता है।

13. गवाह पी.ड. 7 साहब सिंह अनुसंधान अधिकारी है जो परिवादी रामखिलाडी द्वारा थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश करना कहता है। रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत दर्ज कर्ता के हस्ताक्षर ताईद करता है। गवाहन के भी बयान लेखबद्ध करना कहता है। नक्शा मौका परिवादी की निशादेही से तैयार करना, मजरूबान के चोटों के दस्तावेज शामिल करना कहता है। बाद अनुसंधान उसके द्वारा पत्रावली एसएचओ के समक्ष पेश की। प्रतिपरीक्षण में यह गवाह प्रदर्श पी 7 उसके सामने पेश नहीं होना कहता है तथा गवाहान के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध करना स्वीकारता है। प्रदर्श पी 1 खाली कागज पर हस्ताक्षर कराने के सुझावों को नकारता है। प्रदर्श पी 2, 5, 6 अपने सामने नहीं बनाना कहता है। प्रकरण की गलत तफ्तीश व मुल्जिमानों को गलत फंसाने के सुझावों को नकारता है।

14. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन किया जाये तो अभियोजन का मुख्य गवाह आहत पी.ड. 1 छुट्टनलाल है जिसके द्वारा दिनांक 14.04.2020 को सांय 05.30 बजे के करीब भेरदा के कुंए के पास अभियुक्तगण द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ मारपीट किये जाने का कथन करता है। मारपीट के बाद अभियुक्तगण उसे घायल अवस्था में छोडकर चले जाने के पश्चात उसके द्वारा अपने भाईयों को फोन कर बुलाया गया अथवा उसके भाईयों द्वारा आहत को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह पी.ड. 1 ने यह कथित किया कि रमेश व गिर्राज ने अन्य लोगों के साथ मिलकर के उसके साथ मारपीट की। परिवादी ने अभियुक्तगण के साथ पूर्व में किसी प्रकार की रंजिश होने से इंकार किया। दौरान प्रतिपरीक्षण गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 व चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 2 की ताईद की है। आहत को आई चोटों के संबंध में प्रदर्श पी 7 चोट प्रतिवेदन पत्र का अवलोकन किया जावे तो चोट प्रतिवेदन पत्र डॉक्टर रमेशचंद मीना की ओर से आहत का परीक्षण किये जाने के पश्चात बनाया गया। चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्श पी 2 में परिवादी के शरीर पर करीब 12 चोटें विभिन्न प्रकार की एवं साधारण एवं गंभीर प्रकृति की जो शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों एवं हिस्सों पर घटना के कारण आई थी। उक्त सभी चोटों के बाबत् विशेषज्ञ गवाह के रूप में अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड. 6 डॉ. रमेशचंद मीना ने अपने मुख्य परीक्षण में ताईद की कि उक्त सभी चोटें परीक्षण के 4 घंटे के भीतर कुंद हथियार से कारित होना गवाह ने अपने बयानों में कथित किया है। चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्श पी 7 चोट संख्या 1 लगायत 3, 5 से 6 व 10 व 12 के संबंध में एक्सरे की सलाह दी गयी व चोट संख्या 9 के संबंध में दंत विशेषज्ञ की सलाह दी गयी। एक्सरे लिये जाने के पश्चात

गवाह ने चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्श पी 7 में चोट संख्या 5 व 6 को गंभीर प्रकृति की मानते हुए आहत के अस्थिभंग होना कथित किया व अन्य चोटों के बारे में गवाह ने सामान्य प्रकृति की होना ताईद की। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 व 6 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना ताईद किया। चोट प्रतिवेदन पत्र में चोट संख्या 9 के संबंध में डॉक्टर अरविन्द कुमार मीना पी.ड. 5 न्यायालय में परीक्षित हुए। उनके द्वारा तथाकथित चोट संख्या 9 के बारे में अपनी राय दी कि उक्त चोट ताजा चोट नहीं थी ना ही ताजा घाव था। चोट संख्या 9 का दांत कमजोर होने व बीमारी के कारण पहले से निकला हुआ था।

आहत मजरूब के शरीर पर आई चोटों के संबंध में चोट संख्या 9 के संबंध में परीक्षित गवाह पी.ड. 5 ने चोट के संबंध में अपनी स्पष्ट राय में सामान्य प्रकृति की माना है, किन्तु अन्य चोटों के संबंध में न्यायालय में परीक्षित गवाह पी.ड. 6 डॉक्टर रमेशचंद मीना ने चोट प्रतिवेदन पत्र प्रदर्श पी 7 की चोट संख्या 5 व 6 को गंभीर प्रकृति की कुंद हथियार से कारित होना व अस्थिभंग का होना पाया गया।

अभियोजन की ओर से आहत परिवादी के साथ हुई घटना के संबंध में न्यायालय में परीक्षित अन्य गवाह पी.ड. 2 घनश्याम ने अपने मुख्य परीक्षण में रमेश व गिर्राज के द्वारा आहत छुट्टन के साथ मारपीट किये जाने के तथ्य को कथित किया व आहत मजरूब को घटना के पश्चात तुरंत मौका स्थल पर घायल अवस्था में पडा हुआ होना व उसके द्वारा आहत छुट्टन को घायल अवस्था में अस्पताल उसके भाईयों के साथ ले जाना गवाह ने कथित किया है व गवाह ने इससे पूर्व भी मुल्जिमान द्वारा आहत के साथ घटना 3-4 रोज पहले मारपीट होने का कथन किया है। गवाह ने घटना का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 उसके सामने बनाया जाना व नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 पर उसके हस्ताक्षर होना कथित किया है। इसी प्रकार घटना का अन्य गवाह पी.ड. 3 कमलेश मीना ने दिनांक 14.04.2020 को शाम को करीब 5-6 बजे छुट्टन के साथ मारपीट होने व मारपीट के तुरंत बाद उसके अन्य भाईयों के साथ मौके पर पहुंचने के तथ्य की ताईद की है व स्वयं आहत द्वारा उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने की बात उसे आहत द्वारा ही बताया जाना गवाह ने अपने बयानों में कथित किया है। घटना का अन्य गवाह पी.ड. 8 रामिखिलाडी है जो कि स्वयं परिवादी है। जिसके द्वारा प्रदर्श पी 7 तहरीरी रिपोर्ट दर्ज करवाई गयी है। यह गवाह आहत के साथ मारपीट होने के पश्चात आहत द्वारा उसे फोन करने पर उसे अपने अन्य भाईयों के साथ मोकै पर पहुंचने व घायल अवस्था में आहत का पडे होना, उसके बाद घायल अवस्था में उसे अस्पताल भर्ती करवाना ताईद करता है। इसी प्रकार अभियोजन का अन्य गवाह पी.ड. 9 अजय मीना भी दिनांक 14.04.2020 को शाम को करीब साढे 5 बजे के बीच आहत छुट्टन लाल के

साथ अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करके उसे मौके पर पटककर चले जाने व उसके पश्चात अपना अन्य भाईयों के साथ मौके पर पहुंचने पर आहत के घायल अवस्था में पडे होने व घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती करवाने का कथन किया है। इस प्रकार अभियोजन का अन्य गवाह पी.ड. 10 घनश्याम ने भी घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित किये जाने व घटना के पश्चात उसके द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल छुट्टन को अस्पताल में भर्ती कराये जाने के तथ्य कथित किये हैं।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहन ने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत प्रदर्श पी 9 की ताईद की है। अभियोजन की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य में ऐसा कोई सारवान प्रकृति का विरोधाभास प्रकट नहीं हुआ है जिसके आधार पर यह माना जावे कि परिवादी के साथ किसी भी प्रकार की घटना कारित नहीं हुई हो। पी.ड. 1 लगायत पी.ड. 9 ने एक स्वर में यह स्वीकार किया है कि दिनांक 14.04.2020 को शाम को करीब 5-6 बजे के बीच मीना के खेतों व तालाब पर नहाने गये छुट्टनलाल के साथ अभियुक्तगण रमेश व गिर्राज ने मिलकर के परिवादी के साथ लाठी, गंडासी व धारिया से मारपीट की जिससे उसके शरीर पर विभिन्न हिस्सों पर अलग-अलग प्रकृति की चोटें कारित हुई व दोनों हाथों की रेडियस अस्थि भंग हो गयी। उपरोक्त सभी गवाहान ने एक स्वर में कथित किया कि आहत के साथ अभियुक्तगण द्वारा उसका सदोष अवरोध कर उसके साथ मारपीट किये जाने व घोर उपहति कारित किये जाने के तथ्य की ताईद की है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन के पश्चात यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि दिनांक 14.04.2020 को सांय करीब 5.30 बजे अभियुक्तगण द्वारा अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत छुट्टन का रास्ता रोककर के उसके साथ स्वेच्छा घोर उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 में दोषसिद्ध घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आ दे श

15. अतः अभियुक्तगण 1. रमेश पुत्र गौरीलाल 2. गिर्राज पुत्र रामकिशोर निवासीयान भोलूका पुरा बामनवास पट्टीकला थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर को उनके विरूद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(सुरेश कुमार सेन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बामनवास

**16. दण्ड के प्रश्न परः-**

दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा कथन किया गया कि उनके विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत् कोई अभिलेख नहीं है तथा प्रथम अपराध है इस कारण अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिये जाने का निवेदन किया जबकि सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा कथन किया गया कि उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है इस कारण अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ न देते हुए कारावास से दण्डित करने का कथन किया।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन के अनुसार पत्रावली में अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत् कोई अभिलेख नहीं होना प्रकट होता है। परन्तु प्रकरण में आई कई मजरूबान की गंभीर चोटों, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत आरोपित अपराधों में अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान ना किया जाकर कारावास से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**दण्डादेश**

17. अभियुक्त 1. रमेश पुत्र गौरीलाल 2. गिर्राज पुत्र रामकिशोर निवासीयान भोलूका पुरा बामनवास पट्टीकला थाना बामनवास जिला सवाई माधोपुर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में **दोषसिद्धी** पर उक्त अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डाविष्ट किया जाता है-

1. **धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के तहत तीन माह के साधारण कारावास से व 1000 रूपये के आर्थिक दण्ड,** अदम अदायगी आर्थिक दण्ड 15 दिवस का साधारण कारावास,

**2. धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता के तहत एक साल के साधारण कारावास, व 10,000 रूपये के आर्थिक दण्ड** से, अदम अदायगी आर्थिक दण्ड 1 माह का साधारण कारावास,

3. **धारा 341 भारतीय दण्ड संहिता के तहत तीन माह के साधारण कारावास से 1000 रूपये के आर्थिक दण्ड,** अदम अदायगी आर्थिक दण्ड 15 दिवस का साधारण कारावास

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में न्यायिक व पुलिस अभिरक्षा में व्यतीत की गई

अवधि मूल सजा से मुजरा की जावे, शेष सजा भुगताई जावे तथा समस्त मूल सजायें साथ-साथ चलेंगी।

प्रकरण में जब्तशुदा माल यदि हो तो नियमानुसार बाद गुजरने मियाद अपील निस्तारित किया जावे।

अभियुक्तगण का सजा वारंट बनाया जावे।

अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जावे।

(सुरेश कुमार सेन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बामनवास

18. निर्णय आज दिनांक 25.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुरेश कुमार सेन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, बामनवास